प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2007-12 में भारतीय रेल-कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों में पर्यावरण प्रबन्धन के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को अन्तर्विष्ट किया गया हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित ये दृष्टान्त वे हैं जो 2012-13 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान के साथ-साथ पिछले वर्षों में भी ध्यान में आए थे, लेकिन इन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका; 2012-13 से आगे की अवधि से संबंधित मामलों को जहां आवश्यक समझा गया वहां शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के समनुरूप की गई हैं।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर रेल मंत्रालय से प्राप्त हुए सहयोग का आभार व्यक्त करती हैं।

.